क्रम संख्या–54 (च)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 25 फरवरी, 2014 ई0

फाल्गुन 06, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 107 / XXX(2) / 2014–55(41) / 2004

देहरादून, 25 फरवरी, 2014

अधिसूचना

प0 आ0–57

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014 में संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2 उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2014 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2– इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, हेतु अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष होगी;	2– इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी; परन्तु यह कि इस संशोधन से पूर्व जारी विज्ञापनों में आयु सीमा यथावत रहेगी।

आज्ञा से,
डा0 एस0एस0 संधु,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 कार्मिक / 244–2014–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।